



FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

(An Autonomous Body under the Department of Tourism, Government of Jharkhand)
Plot No. 224, Kumaitha, Near, Sports Complex Kumaitha, Deoghar 814142, Jharkhand,
Website: www.fcideoghar.org, Email: principal.fcideoghar@gmail.com Phone No.: +91 9304178232

ज्ञापक: FCID/DGR./2024-25/Tender/ 248

दिनांक:- 24.12.2024

अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स, Diploma in Food Production, Diploma in Bakery and Confectionery, Diploma in Food & Beverage Service, Diploma in Housekeeping courses पाठ्यक्रमों के लिए फूड क्राफ्ट संस्थान के लिए Grocery Items सामग्रियों की आवश्यकता है, जिस की निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधी कोटेशन आमंत्रित किया जाता है -

प्रशिक्षुओं को वितरित किये जाने हेतु Grocery Items सामग्रियों की आवश्यकता है। Grocery Items सामग्रियों में निम्नलिखित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, जो की Annexure-A में सूचीबद्ध है।

शर्तें:-

1. अपना पूर्ण बायोडाटा, एजेंसी / फर्म का नाम, पता, दूरभाष संख्या सहित, एजेंसी / फर्म द्वारा कार्य प्रस्ताव में GST एवं पैन नंबर तथा वैध license उल्लेख करना आवश्यक होगा।
2. बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर झारखंड का होगा।
3. अनुलग्नक -A में सामग्रियों के दर के अनुसार कोटेशन में अंकित किया जाना है।
4. जिस फर्म / एजेंसी के सभी सामग्रियों के दरों का योगफल न्यूनतम (Lowest - 1) होगा आंतरिक क्रय समिति की अनुसंधान पर निविदा award किया जाएगा तथा आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिया जाएगा।
5. उपरोक्त सामग्रियों का कोटेशन इच्छुक एजेंसी अपना निविदा सीलबन्ध लिफाफे में फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर प्लॉट न. 224, कुमैठा, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स कुमैठा के समीप, देवघर 814142, झारखंड के पद नाम एवं पता पर सात दिनों के अन्दर दिनांक 02.01.2025 दोपहर 12 बजे तक समर्पित करेगा। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. कसी भी कोटेशन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
7. इस कोटेशन की वैधानिकता क्रयादेश निर्गत होने की तिथि से छह माह तक की होगी जिसके दौरान दर का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाएगा।
8. आपूर्तिकर्ता को विपत्र करने के 15 दन के अन्दर राशि का भुगतान किया जाएगा, अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं है।
9. चयनित आपूर्तिकर्ता को कम से कम एक माह पूर्व बिना सूचना के सामग्रियों की आपूर्ति बंद करने पर उनके विपत्र से ३०००/- रूपए अथवा विपत्र राशी की 20% दोनों में से जो अधिक हो की कटौती की जाएगी।
10. चयनित L1 आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर Performance Security के रूप में 5,000/- रूपए डिमांड ड्राफ्ट FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR JHARKHAND SOCIETY के पक्ष में कार्यालय में समर्पित करना होगा।
11. उपयुक्त विवरण में जो सामग्रियों अंकित नहीं है या जिनकी आपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है उन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आंतरिक क्रय समिति द्वारा सत्यापित बाजार दर पर चयनित एजेंसियों से लिया जायेगा।
12. उपर्युक्त सामग्रियों का दर bulk quantity के अनुसार कोटेशन में अंकित किया जाना है।

लेखा- सह- प्रशासनिक अधिकारी
फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर

डॉ नृपेन्द्र सिंह लिंगवाल
प्रधानाचार्य
फूड क्राफ्ट संस्थान, देवघर